प्रेस नोट

थाना पिलखुवा दिनांक 28.07.2021

थाना पिलखुवा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 388/2021 धारा 364,302,201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कार, मृतक के कपड़े(टीशर्ट व पैंट) एवं शराब व बीयर की खाली बोतल/कैन बरामद।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2021 धारा 364,302,201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कार, मृतक के कपड़े (टीशर्ट व पैंट) एवं शराब व बीयर की खाली बोतल/कैन बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1- दीपक माहिया पुत्र ओमप्रकाश माहिया नि0 रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
2- सौरभ सैनी पुत्र कमल सैनी नि0मौ0 छिपीवाडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
3- अरूण गिरी पुत्र रतन गोस्वामी नि0ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
4- सुन्दर गिरी पुत्र देवी गिरी नि0ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरण:-

1- घटना में प्रयुक्त कार ईओन नं0 DL 3CBZ 4030.
2- घटनास्थल से शराब व बीयर की खाली बोतल/कैन बरामद।
3- मृतक धीरज उर्फ भोला के कपड़े (टीशर्ट व पैंट)।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27/07/2021 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र रमेश चन्द नि0ग्राम प्रहलाद नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. दीपक माहिया पुत्र ओमप्रकाश माहिया नि0 रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड, 2.सौरभ सैनी पुत्र कमल सैनी नि0 मौ0 छिपीवाडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड, 3. अरूण गिरी पुत्र रतन गोस्वामी व अन्य अज्ञात एक व्यक्ति के विरुद्ध मु0अ0स0 388/21 धारा 364 भादवि पंजीकृत कराया गया कि मृतक धीरज उर्फ भोला पुत्र रमेशचन्द

नि0 मौ0 रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड को दिनांक 25/07/2021 को दीपक माहिया पुत्र ओमप्रकाश माहिया नि0 रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड शराब पीने के लिए घर से बुलाकर ले गया था। खेडा ठेके पर पहले से ही मौजूद दीपक व धीरज उर्फ भोला के दोस्त 1.सौरभ सैनी पुत्र कमल सैनी नि0 मौ0 छिपीवाडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड, 2. अरूण गिरी पुत्र रतन गोस्वामी, 3. सुन्दर गिरी पुत्र देवी गिरी नि0 ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड मिले सभी ने ठेके से शराब व बीयर की कैन खरीद कर पी तथा अरूण गिरी के कहने पर सभी कंधौला स्थित महेन्द्र गिरी की टयूबवैल पर पहुँचे तथा सभी ने दोबारा शराब व बीयर पी उसके बाद सभी लोग टयूबवैल मे नहाने लगे तथा नहाने के दौरान मृतक धीरज उर्फ भोला का दोस्तो से विवाद हो गया और विवाद के दौरान मृतक धीरज उर्फ भोला उपरोक्त की टयूबवैल की होदी मे डूबने से मृत्यु हो गयी। इसके बाद दीपक व सौरभ सैनी द्वारा मृतक धीरज उर्फ भोला के शव को कार ईओन नं0 DL 3CBZ 4030 मे डालकर सिखेडा बम्बा पुलिया मे फेंक दिया और सभी लोग अपने-अपने घर चले गये। विवेचना मे साक्ष्य संकलन कर घटना मे संलिप्त अभियुक्तगण को हिरासत मे लेकर अन्तर्गत धारा 364/302/201 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम न्यायिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुबोध कुमार सक्सेना थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2- उ0नि0 श्री नवीन कुमार गौतम थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3- है0कां0 274 सतेन्द्र सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

4- है0कां0 342 शीलेन्द्र सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

5- कां0 332 परिक्षित राणा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।